सत्र 2015–16 में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासनादेशों का अनुपालन करना होगा–

1. छात्र अनुसूचित जाति/जनजाति का हो तथा जाति प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो व वेबसाइट पर अपलोड हो।
2. छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
3. छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2,00,000/ के अन्दर होनी चाहिए। आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो, जो 3 वर्ष के अन्दर की हो तथा वह वेबसाइट पर अपलोड हो।
4. एक वर्ष से अधिक के पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रस्तुत आय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम की समाप्ति तक चलेगा, परन्तु नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर पुनः नया आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आय प्रमाण–पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।
5. निःशुल्क प्रवेश हेतु ऐसे छात्र/छात्रायें पात्र नहीं होंगे–
   (i) छात्र/छात्रायें स्नात उत्तीर्ण करने के बाद पुनः संकाय परिवर्तन कर स्नातक में निःशुल्क प्रवेश नहीं ले सकते हैं।
   (ii) स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद किसी एक अतिरिक्त विषय में प्रवेश लेने स्नातक में प्रवेश निःशुल्क नहीं होगा।
   (iii) किसी एक विषय से स्नातकोत्तर की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य स्नातकोत्तर विषय से प्रवेश लेने पर निःशुल्क प्रवेश नहीं होगा।
   (iv) बी0एड्0 या विधि कक्षा में किसी एक में उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे में प्रवेश निःशुल्क नहीं होगा।
   (v) यदि 02 सत्रों में गैप हो तो ''गैप प्रमाण–पत्र'' छात्र/छात्रा प्रस्तुत करेंगे, साथ ही गैप प्रमाण–पत्र पर लेखा कार्यालय से सम्बन्धित लिपिक की रिपोर्ट अवश्य लगनी चाहिए।
6. अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन–पत्र में संलग्न आय, जाति व निवास प्रमाण–पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से तथा अन्य प्रमाण–पत्रों का मिलान मूल प्रमाण–पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। **उचित होगा कि गठित समिति ही निःशुल्क प्रवेश भी करें।**

   समिति–
   अध्यक्ष– प्राचार्य
   सदस्य– वरिष्ठ प्राध्यापक
   सदस्य– वरिष्ठ अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति प्राध्यापक
7. समस्त अनुसूचित जाति के छात्र/छात्रायें जो निःशुल्क प्रवेश लेंगे, वे रू0 100/– के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र एवं संस्था के मध्य संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध–पत्र (परिशिष्ठ–ख) प्रस्तुत करेंगे।

परिशिट– ''ख''

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य
अनुबन्ध–पत्र
(कक्षा 11 व 12 हेतु रू0–10/– एवं उच्चतर पाठ्यक्रमों हेतु रू0 100/– के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ..... को (1) कु0/श्रीमती/श्री.....
जाति.....निवासी ग्राम/मु0.....
डाकखाना.....तहसील.....जिला.....
जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2)..... (सस्थाध्यक्ष) पता.....
जनपद..... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/सत्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार सरकार दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर, निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराषि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्ययस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो में प्रतिभाग करेगा।

उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर.....
नाम .....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर.....
नाम .....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0–1

हस्ताक्षर.....
नाम .....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0–2

हस्ताक्षर.....
नाम .....
पिता/पति का नाम.....
पता.....